राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर

कमांकः–एफ.6( )लेखा/सीटीएडी/उपापन/2014–15/13959 दिनांक 13/6/14

खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या– 1/2014–15

कार्यालय को निम्नांकित तीरन्दाजी सामग्री की आवश्यकता है । अतः सम्बन्धित विनिर्माता / डीलर्स/विकेता एजेन्ट/ थोक विकेताओं से खुली बोली आमंत्रित की जाती है :–

क.सं.	सामग्री	अनुमानित लागत	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपयें में)	धरोहर राशि (रूपयें में)	बोली प्राप्त करने की अंतिम दिनांक	बोली प्रस्तुत करने की दिनांक	बोली खोलने की दिनांक
1.	तीरन्दाजी सामग्री (कार्बन/ फाईबर) धनुष तीर राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय क्वालिटी स्तर के मापदण्ड के अनुसार	15.00 लाख	400/–	30000/–	14.07.2014 1.00 बजे अपरान्ह	14.07. 2014 2.00 बजे अपरान्ह	14.07.2014 3.00 बजे अपरान्ह

बोली प्रपत्र निर्धारित शुल्क निर्धारित अवधि में कार्यालय समय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है http://sppp.raj.nic.in या विभाग की वेब साईट www.tad.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। डाक से बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क के साथ डाक खर्च की राशि अतिरिक्त भिजवानी होगी। बैवसाइड से डावनलोड किये गये बोली प्रपत्र की निर्धारित शुल्क राशि एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफट आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जा सकेंगा । अन्य शर्ते बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है।

13.6.14

अतिरिक्त आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1,Saheli Marg chetak circle EPABX : 2428721–24 FAX : 0294–2428721
E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

निविदा शुल्क 400/–

मेसर्स/श्री/श्रीमती.......................................निवासी............................को दिनांक.........................
को.........................हेतु जारी किया गया।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

खुली प्रतियोगी बोली प्रपत्र
(तीरंदाजी सामग्री क्रय)

1. तीरंदाजी सामग्री क्रय के लिये खुली प्रतियोगी बोली।
2. खुली बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता –
   ....
   ....
3. किसको सम्बोधित किया गया – आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संदर्भ–खुली प्रतियोगी बोली सूचना क्रमांक.................. दिनांक ....
5. खुली प्रतियोगी बोली शुल्क की राशि 400/– नकद/रसीद/संख्या...................... एवं दिनांक...........................द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हम कार्यालय द्वारा जारी की गई खुली प्रतियोगी बोली सूचना संख्या .... दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तो में बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनमें सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है)।
7. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येंक के सामने अंकित की गई है –

क.स	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण	मात्रा अनुमानित (नग/सेट में)	दरें सभी कर संहित
1.	BOW RECOVER 66/40 Lbs AND 68/40 Lbs COMPLETE SET (IMPORTED QUALITY - WIN&WIN/HOYT OR EQUIVALENT STANDARD)	4 Set Complete	..........................Per Set
2.	CARBOW ARROW (IMPORTED QUALITY)	10 Dozen	..........................Dozen
Archery Assieries			
3.	ARROW NOCK (CARBON ARROW) IMPORTED QUALITY	48 PKT	..........................Per PKT
4.	ARROW NOCK (ALUMINIUM ARROW)	48 PKT	..........................Per PKT
5.	FLACH CARBOW ARROW, IMPORTED QUALITY	48 PKT	..........................Per PKT
6.	FLATCH ALLUMINIUM ARROW, IMPORTED QUALITY)	48 PKT	..........................Per PKT
7.	Bow Box	4 PKT	..........................Per PKT
8.	TARGET BOSS	6	..................................Per
9.	TARGET STAND	4	..................................Per
10.	Zim Complet	14 to 16 station	.........................Complete
11.	Trade Mill (Manual)	1	..................................Per

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने की दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जायेगी।
9. उपर अंकित की गई दरें दिनांक......................तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
10. धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या..............दिनांक ....राशि ....आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पक्ष में संलग्न किया गया है।
11. इसके साथ वेट पंजीयन एवं बिक्री कर चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
12. मेक स्पेशिफिकेशन/वारंटी पिरीयड का उल्लेख कर दिया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(फर्म का नाम एवं डाक का पूर्ण पता)

दिनांक :

DECLARATION BY BIDDERS

I/We declare that I/We/am/are/bonafide/manufactures/whole sellers/sole distributors/authorised dealer/sole selling/marketing agent in the goods/stores/equipment for which I/We have tendered.

If this declaration if found to be incorrect then without prejudice to any other action may be taken. My/Our security may be forfeited in full and the bidd, if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of Bidders

Note - Please tick whatever is correct and applicable.

तीरंदाजी सामग्री आपूर्ति हेतु

खुली प्रतियोगी बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्ते–

टिप्पणी–बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. बोलियों को उचित रूप से बोली सूचना अनुसार मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए ।
2. कोई भी डीलर/विनिर्माता जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। वेट एवं बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. आयकर के पेन नंबर की फोटो प्रति संलग्न करें ।
4. बोली प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा । पेंसिल से भरी गई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा । बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।

दरें :–

5. दरें प्रति आईटम शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी । इसमें कोई त्रुटियां एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए । यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।
6. दरें गन्तव्य स्थान आयुक्त कार्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के स्टोर एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए । दरों में सभी प्रकार के करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वार कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभारों का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। Make specification एवं warrenty period का भी उल्लेख करें।

विधिमान्यता :–

7. बोलियॉ उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन के लिए विधिमान्य होंगी ।

विनिर्देश :–

8. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है ।
9. केता अधिकारी/समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं Specification के अनुरूप है किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा। प्रदाय की गई सामग्री जो अनुमोदित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नही पाये जायेगें उन्हें केता अधिकारी रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस सामान आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी ने रद्द कर दिया है अपने स्वयं के खर्चे पर बदलना होगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

10. असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नही किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जावेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति टूट–फूट या परीक्षण जॉच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नही दिये जायेगे उन्हें समपहृत कर लिया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावें को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. सप्लाई जब भी प्राप्त की जावेगी उसका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जावेगा कि वे स्पेशिफिकेशन या अनुमोदित नमूने के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो परीक्षण प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा तथा सप्लाई किया गया सामान निरीक्षण के निहित स्पेशिफिकेशन के स्तर का पाया जाएगा तभी स्वीकार किया जायेगा।

12. परीक्षण प्रभार द्वारा वहन किए जायेगें। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण/निरीक्षण करना चाहता है या यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किऐ जायेगें।

13. निरीक्षण के दौरान जो वस्तुऐं अनुमोदित नही की जावेगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

14. रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता द्वारा उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वे उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

15. यदि सामान की सप्लाई केता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी प्रदाय हेतु संविदा को, किसी भी समय निरस्त कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

16. यदि केता अधिकारी किसी बोलीदत वस्तुओं की खरीद नही करता है या बोली प्रपत्र में निदिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बोलीदाता किसी भी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नही होगा अर्थात कय की जाने वाली सामग्री की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है।

17. बोली के साथ खुली बोली प्रारूप में अंकित बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा बयाना राशि आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पक्ष में अनुसूचित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में संलग्न करें ।

18. बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है ।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय में भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो ।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारंभ करने में असफल रहता हो ।

(v) सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करानी होगी जिसमें बोली के साथ प्राप्त धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी साथ ही 1000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

19. **आपूर्ति अवधि :–**

(i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता केता अधिकारी के कय आदेश जारी होने पर उनमें अंकित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(ii) परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है –

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 %

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के अनिधक के लिए 5 %

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 %

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए के लिए 10 %

(ड) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

(च) यदि सप्लायर किन्हीं बाधाओं के कारण संविदा अंतर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है । किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद करेगा ।

(छ) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

20. परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट–फूट रदद की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी । कम सप्लाई, टूट–फूट रदद किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

21. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही है, को स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

22. यदि बोली के निर्विचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को (राज्य सरकार) प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र निर्णायक होगे तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

23. अनुमोदित सप्लायर्स संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या उप भाग (सब लेट) पर नहीं देगा ।

24. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या अनुमोदित सप्लायर) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर